न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/55/2022	2022/176	15.06.2022	27.01.2026

1.श्रवण मीना पुत्र श्री कान्हा मीना जाति मीना–मृतक
1/1.नरसीराम मीना पुत्र स्व0 श्रवण राम मीना उम्र करीब 63 साल,
1/2.श्रीराम मीना पुत्र स्व0 श्रवण राम मीना उम्र करीब 52 साल,
1/3.रामदयाल मीना पुत्र स्व0 श्रवण राम मीना उम्र करीब 50 साल,
1/4.गोपाल प्रसाद मीणा पुत्र स्व0 श्रवण लाल मीना, निवासी ग्राम खोदरीबा तहसील टहला जिला अलवर।
2.सियाराम पुत्र रामकर्ण मीना, जाति मीना, उम्र करीब 35 साल, निवासी ग्राम खोह तहसील टहला जिला अलवर।

––अपीलाण्ट्स

बनाम

1.हीरा देवी पत्नी स्व0 बुद्धालाल, जाति मीना, निवासी ग्राम खोह, तहसील टहला, जिला अलवर।
2.तहसीलदार टहला जिला अलवर।

–असल रेस्पोडेन्ट्स

3.राजकुमार मीना पुत्र श्री रामरकण मीना–मृतक
3/1.श्रीमती सुमन देवी पत्नी राजकुमार उम्र 30 साल,
3/2.लक्की पुत्र राजकुमार उम्र करीब 4 साल नाबालिग,
3/3.लक्ष्मी पुत्री राजकुमार उम्र करीब 3 साल नाबालिग,
3/4.गोलु कुमार पुत्र राजकुमार उम्र करीब 2 साल नाबालिग सरपरस्त माता खुद श्रीमती सुमन देवी साकिन ग्राम खोह तहसील टहला जिला अलवर।
4.बृजमोहन पुत्र रामकर्ण जाति मीना आयु करीब 40 साल, निवासी ग्राम खोह, तहसील टहला जिला अलवर।

–तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार टहला जिला अलवर राज0 दिनांक 14.03.2022 इंतकाल संख्या 1350 वाके ग्राम खोह तहसील टहला जिला अलवर बाबत आराजी खसरा न0 1249 वाके ग्राम खोह तहसील टहला जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार कर उक्त आराजी के नया खसरा नम्बर 2772/1249 रकबा 0.0208 है0 गै0मु0 रास्ता तथा 2773/1249 रकबा 0.0192 बदस्तूर हीरादेवी रेस्पोडेंट के नाम रखा गया है, बमुराद मनसुखी उक्त आदेश एवं स्वीकार किये जाने अपील अपीलांट।

उपस्थितः–
01. श्री दीपक सिद्ध – वकील अपीलाण्ट्स व तरतीबी रेस्पोडेंट्स
02. श्री अजीत कुमार यादव – वकील रेस्पोडेन्ट्स
03. राजकीय अभिभाषक – वकील रेस्पोडेन्ट 2

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार टहला के आदेश दिनांक 14.03.2022 इंतकाल संख्या 1350 वाके ग्राम खोह तहसील टहला से व्यथित होकर पेश की है। जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि अपील हाजा पर कोर्ट फीस दो रूपया चस्पा कर पेश है। अपीलाधीन आदेश विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार भू०अ० टहला जिला अलवर का है, जिससे

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अपील श्रीमान के श्रवण योग्य है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2022 को मिन अपीलान्ट के पीछे से बालाबाला पारित किया गया है जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट सर्वप्रथम दिनांक 16. 05.2022 को हुई जबकि रेस्पाडेन्ट सं. 1 द्वारा मिन अपीलान्टान के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की तथा मिन अपीलान्टान द्वारा एतराज किया तो उक्त विवादित इंतकाल स्वीकृत होने की जानकारी दी। जिस पर मिन अपीलान्टान ने इंतकाल की नकल लेने के लिए उसी दिन आवेदन किया जो नकल दिनांक 17.05.2022 को सांयकाल प्राप्त हुई उसके बाद मिन अपीलान्ट ने वकील साहब से सलाह मश्वरा किया तो उन्होने मौजूदा अपील दायर करने की सलाह दी तथा उसके पश्चात रूपयों का इंतजाम किया तथा रूपयों का इंतजाम होने से यह अपील अविलम्ब पेश की जा रही है तथा जो समय व्यतीत हुआ है. वह बवजह लाइलमी व्यतीत हुआ है, जो धारा 5 लिमिटेशन एक्ट क तहत माफ किया जाना आवश्यक है जिस हेतु प्रथक से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने इंतकाल संख्या 1350 वाके ग्राम खोह तहसील टहला जिला अलवर विधि विरूद्ध खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड एवं खिलाफ कानून स्वीकार किया है, जो काबिल निरस्तनीय है। विवादित इंतकालाधीन आराजी खसरा नम्बर 1249/0.15 हैक्टेयर वाके ग्राम खोह तहसील टहला से असल रेस्पाडेन्ट स.1 का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का कभी नहीं रहा है। उपरोक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1249 के सम्वत् 2046 से पूर्व खसरा नम्बर 860 थे तथा उससे पूर्व सं. 2020 में 307 कायम थे। उक्त साबिक खसरा नम्बर 307 के राजस्व रिकार्ड जमबंदी सम्वत् 2011 से 2014 के अनुसार अपीलान्टान तथा तस्तीवी रेरपाडेन्ट राजकुमार, बृजमोहन के दादा धासी, कजोड, मुरली पुत्रान काना खातेदार काश्तकार थे जो आराजी मुतनाजा पर काबिज होकर काश्त करते थे तथा सं.2020 में सेटलमेन्ट के दौरान असल रेस्पाडेन्ट सं.1 के दादी ससुर हरबक्श पुत्र गोरधन द्वारा बंदोवस्त कर्मचारियों से मिलकर आराजी का स्वंय को राजस्व रिकार्ड खातेदार में दर्ज करा लिया तथा हरबक्श के स्वर्गवास के पश्चात उसका पुत्र यानिकि रेस्पाडेन्ट सं. 1 का पति बुद्धालाल आराजी का खातेदार दर्ज कर दिया। इस प्रकार उक्त त्रुटि सं. 2046 में बंदोवस्त के अनुसार बबदस्तूर रही। तथा नया खसरा नम्बर 1249 कायम कर रेस्पाडेन्ट सं.1 को खातेदार दर्ज कर दिया। जबकि उक्त विवादित आराजी पर कभी भी रेस्पाडेन्ट सं.1 या उसके बुजुर्गान का कभी कोई कब्जा या काश्त नही रहा है। जिस तथ्य की जानकारी होने पर मिन अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पा० द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर के समक्ष राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती हेतु दिनांक 15.03.2022 को वाद दायर किया गया है। जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो रही है।

असल रेस्पाडेन्ट सं.1 द्वारा बालाबाला विवादित आराजी खसरा नम्बर 1249 के रकबे में से 52 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर रिकार्ड एवं नक्शे में रास्ता दर्ज कराने हेतु सहमति पत्र दिनांक 10.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत कर आवेदन पत्र पेश किया जिसका कि रेस्पाडेन्ट संख्या 1 को कोई हक व अधिकार किसी प्रकार का नही रहा है चूँकि विवादित आराजी मिन अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पाडेन्ट बुजुर्गों की आराजी थी। विवादित आराजी पर मिन अपालीन्टान का अपने बुजुर्गो के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा बुजुर्गों द्वारा बनाये गये मकान, तिबारा, खलियान मौके पर मौजूद है तथा नीम का पेड भी लगाया हुआ है एंव पशुओं के लिए आवास भी बना रखा है तथा आराजी मुतनाजा का शेष 1/2 हिस्सा खाली है जो खलियान हेतु उपयोग व उपभोग में आता है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त इंतकाल स्वीकार करने से पूर्व मौका अवलोकन नही किया है तथा बिना मौके की जांच किये उक्त इत्तकाल स्वीकार किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। असल रेस्पाडेन्ट सं. 1 को यह पूर्वाभाष कि मिन अपीलान्टा द्वारा उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती हेतु वाद दायर किया जावेगा इसलिए वाद दायरी से एक दिन पूर्व ही साजबाज तरीके से उक्त इंतकाल स्वीकार किया गया है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गोर नही किया है जो काबिल गोर अदालत श्रीमान है एवं अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पाडेन्ट सं.2 द्वारा आनन फानन में बिना किसी प्रकार की जांब किसे तथा बिना किसी को कोई सूचना दिये बालाबाला तमाम कार्यवाही एक ही दिन में करते हुए विवादित इंतकाल स्वीकार किया गया है जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है एंव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर कभी कोई रास्ता किसी प्रकार का नहीं था लेकिन तहत अदालत द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से इंतकाल स्वीकार किया है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित इंतकाल स्वीकार करने से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पूर्व मिन अपीलान्टान को किसी प्रकार की सुनवाई या साक्ष्य का अवसर नहीं दिया तथा नाही किसी प्रकार की कोई सूचना दी। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गोर नहीं किया है जो काबिल गोर अदालत श्रीमान है एवं अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय के आदेश से मिन अपीलान्ट अपनी आराजी के उपयोग व उपभोग से वंचित हो रहा है तथा उसके हकूक प्रभावित होने का अंदेशा है जिस तथ्य पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गोर नही किया है जो काबिल गोर अदालत श्रीमान है एवं अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मिन अपीलान्ट को बुलाये, बिना नोटिस जारी किये एवं बिना मौके की जान किये विवादित इंतकाल स्वीकार करने से मिन अपीलान्ट के हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित हो रहे है इसलिए मिन अपीलान्ट को उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर करना आवश्यक हो गया है। मिन अपीलान्ट को विद्वान तहत अदालत ने ना तो तलब किया और ना ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया तथा मिन अपीलान्ट का उक्त आराजी में हित निहित है इसलिए मिन अपीलान्ट को अपील पेश करना आवश्यक हुआ है जिस हेतु प्रथक से प्रार्थना पत्र धारा 96 जा०दी० प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य उज्जात वक्त बहस जुवानी अर्ज किये जावेगें। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार (भू०अ०) टहला जिला अलवर द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 14.03.2022 बाबत इंतकाल संख्या 1350 वाके ग्राम खोह तहसील टहला जिला अलवर निरस्त फरमाया जावे। आपकी अति कृपा होगी। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 02 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभय पक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस अंकन कराया कि इंतकाल संख्या 1350 दिनांक 16.05.2022 की अपील है जो विद लिमिटेशन पेश की गई है। अलग से प्रार्थन पत्र दफा 05 व प्रार्थना पत्र दफा 96 पेश किया हुआ है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1249 के सम्वत् 2046 से पूर्व खसरा नम्बर 860 थे तथा उससे पूर्व सं. 2020 में 307 कायम थे। उक्त साबिक खसरा नम्बर 307 के राजस्व रिकार्ड जमबंदी सम्वत् 2011 से 2014 के अनुसार अपीलान्टान तथा तस्तीवी रेरपाडेन्ट राजकुमार, बृजमोहन के दादा धासी, कजोड, मुरली पुत्रान काना खातेदार काश्तकार थे जो आराजी मुतनाजा पर काबिज होकर काश्त करते थे तथा सं.2020 में सेटलमेन्ट के दौरान असल रेस्पाडेन्ट सं.1 के दादी ससुर हरबक्श पुत्र गोरधन द्वारा बंदोवस्त कर्मचारियों से मिलकर आराजी का स्वंय को राजस्व रिकार्ड खातेदार में दर्ज करा लिया। मार्च 2022 में रास्ते के आदेश किये गये। अपीलांट्स द्वारा दिनांक 15.03.2022 को एसडीओ राजगढ में एक दावा पेश करने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट्स द्वारा दिनांक 14.03.2022 को सांठगांठ कर एक दिन पूर्व म्यूटेशन दर्ज करवा लिया। असल रेस्पाडेन्ट सं.1 द्वारा बालाबाला विवादित आराजी खसरा नम्बर 1249 के रकबे में से 52 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर रिकार्ड एवं नक्शे में रास्ता दर्ज कराने हेतु सहमति पत्र दिनांक 10.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत कर आवेदन पत्र पेश किया जिसका कि रेस्पाडेन्ट संख्या 1 को कोई हक व अधिकार किसी प्रकार का नही रहा। अधीनस्थ न्यायालय में हम पार्टी नहीं थे इसलिए प्रार्थना पत्र दफा 96 व जानकारी वाद में हुए इसके लिए प्रार्थना पत्र दफा 05 पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलांट के कथनों को नकारते हुए कथन किये कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदारी की आराजी है। सेल या समर्पित को रोकने का अधिकार नहीं है। इंतकाल दिनांक 14.03.2022 को दर्ज हो किन्तु कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

08.03.2022 को एतराज प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन तहसीलदार को मिला या नहीं। दिनांक 10.12.2021 को सहमति हुई। सेक्शन 96 रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। आर्डर की जानकारी पूर्व में थी तो प्रा0प0 दफा 05 खारिज करे। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया गया। अपील अपीलांट द्वारा तहसीलदार टहला के आदेश दिनांक 14.03.2022 (इंतकाल संख्या 1350) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम खोह, तहसील टहला की आराजी खसरा नं. 1249 में प्रत्यर्थी संख्या 1 की सहमति के आधार पर रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट्स के मुख्य तर्क हैं कि विवादित आराजी उनके बुजुर्गों के समय (संवत 2011–2014) से उनके कब्जे और काश्त में है। मौके पर उनके मकान, तिबारा और खलियान स्थित हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने मिलीभगत कर गलत तरीके से अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है, जिसके सुधार हेतु उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के समक्ष वाद (दिनांक 15.03.2022) विचाराधीन है। तहसीलदार ने बिना मौका देखे, बिना अपीलार्थी को सुने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत, वाद दायर करने से ठीक एक दिन पूर्व (14.03.2022) जल्दबाजी में इंतकाल 1350 स्वीकृत कर दिया। रेस्पोडेन्ट का मुख्य तर्क है कि वे रिकॉर्डेड खातेदार हैं और उन्हें अपनी भूमि में रास्ता देने का अधिकार है। इंतकाल विधिवत दर्ज हुआ है और अपीलार्थी को इसे चुनौती देने का अधिकार नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा यह दावा किया गया है कि विवादित आराजी पर उनके मकान, तिबारा और पशुबाड़ा स्थित हैं और वे लंबे समय से काबिज हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने इंतकाल संख्या 1350 स्वीकृत करते समय मौके की वस्तुस्थिति की जांच नहीं की। यदि मौके पर अपीलार्थी का रिहायशी कब्जा था, तो बिना उन्हें सुनवाई का अवसर दिए रास्ता दर्ज करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इंतकाल में 52 मीटर लंबा व 4 मीटर चौड़ा रास्ता दर्ज किया गया है। यह जांचना तहसीलदार का कर्तव्य था कि क्या प्रस्तावित रास्ता मौके पर खाली भूमि से निकल रहा है या किसी के निर्माण/कब्जे को प्रभावित कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे यह आदेश पारित कर त्रुटि की है। अपीलांट्स द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की दुरुस्ती हेतु उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि राजस्व रिकॉर्ड में प्रत्यर्थी संख्या 1 दर्ज खातेदार हैं, लेकिन जब स्वत्व (Title) और कब्जे को लेकर गंभीर विवाद हो और सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन हो, तो ऐसी स्थिति में राजस्व अधिकारियों को जल्दबाजी में भूमि की प्रकृति बदलने (जैसे रास्ता दर्ज करने) से बचना चाहिए। आदेश दिनांक 14.03.2022 को पारित किया गया और अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.03.2022 को वाद दायर किया गया। यह तथ्य इस संभावना को बल देता है कि विवाद की जानकारी होने पर जल्दबाजी में इंतकाल दर्ज किया गया हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका जांच/परीक्षण के ही विवादित आदेश पारित किया गया है। अतः इन परिस्थितियों में, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गुण–दोष के आधार पर स्थिर रहने योग्य नहीं है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है। पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार टहला द्वारा दर्ज/स्वीकार इंतकाल संख्या 1350 दिनांक 14.03.2022 वाके ग्राम खोह तहसील टहला जिला अलवर को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)